बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना।

आदेश

बिहार सरकार के बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा महत्वाकांक्षी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम Domain Skilling योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत संस्था–M/S Datapro Computer Pvt. Ltd.को बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा पूर्व में पारित आदेश संख्या–BSDM/Domain(RFP)-108/2025-2605 दिनांक–27.11.2025, बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा निर्गत RFP NO.-165/2023 दिनांक–13.10.2023 के कडिंका–27.1 एवं मिशन के साथ की गई एकरारनामा की कंडिका 11 एवं Article-1 कंडिका 3.1 के आलोक में 2 वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज किया गया।

2. संस्था–M/S Datapro Computer Pvt. Ltd. द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में वाद संख्या–CWJC NO.-2184/2026 दायर की गई, जिसमें बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या– BSDM/Domain(RFP)-108/2025-2605 दिनांक–27.11.2025, को खारिज/निरस्त करने की माँग रखी गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–13.02.2026 के न्यायादेश के कडिंका–4 में निम्नलिखित आदेश दिया गया–

> *"In view of above, order dated 27.11.2025 is set aside. The matter is remitted back to the authority concerned, who shall issue a fresh show-cause notice granting the petitioner liberty to file a reply thereto and, if necessary, afford a personal hearing to the petitioner before passing a final order in accordance with law."*

3. माननीय पटना उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के पत्रांक–1150 दिनांक–20.03.2026 के द्वारा पूछे गये fresh

show-cause notice के आलोक में M/S Datapro Computer Pvt. Ltd. द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक–28.03.2026 को उपलब्ध कराया गया। साथ ही मिशन के पत्रांक–1488 दिनांक–15.04.2026 एवं पत्रांक–1562 दिनांक–24.04.2026 के द्वारा संस्था– M/S Datapro Computer Pvt. Ltd. को प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के साथ दिनांक–24.04.2026 एवं 04.05.2026 को बिहार कौशल विकास मिशन में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया है। इस सुनवाई में मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन, मिशन प्रबंधक (समन्वय), मिशन प्रबंधक (आई०टी०), बिहार कौशल विकास मिशन, विनय कुमार SPMU,E&Y,श्री स्वपनील सुभाष माली तथा श्री चन्द्रमुनी प्रकाश हंनुवते, MKCL प्रतिनिधि तथा श्री राकेश कुमार, DGM M/S Datapro Computer Pvt. Ltd. उपस्थित रहे।

4. नये कारण पृच्छा के आलोक में M/S Datapro Computer Pvt. Ltd. द्वारा दिनांक–28.03.2026 को उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण का अवलोकन किया। संस्था ने अभ्यावेदन में अपनी संस्था को काली सूची से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। संस्था द्वारा अपने अभ्यावेदन में निम्न बिन्दु उठाये गये है:–

(क) Attendance Discrepancy-

- संस्था में बायोमैट्रिक डिवाइस के द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाती है जो कि BSDM and AEBAS Portal से Integrated है।
- यह व्यवस्था स्वचालित है जिसमें End-user के द्वारा Human Intervension संभव नहीं है।

(ख) Allegation of Tampering in Geo-tagged Photographs- संस्था के द्वारा प्राकृतिक एवं Real-time Geo-Tagged Photograph उपलब्ध कराये गये है।

(ग) CCTV Footage Submission- संस्था द्वारा पेनड्राइव में दिनांक–29.11.2024 को CCTV Footage उपलब्ध करायी गयी है।

(घ) Mismatch between AEBAS and Portal- AEBAS and BSDM Portal पर उपस्थिति संबंधित Mismatch तकनिकी कारण से हो सकती है जिसपर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है।

(ङ) Core Technical Aspect- उपस्थिति संबंधी व्यवस्था MKCL के द्वारा विकसित एवं प्रबंधित की जाती है। संस्था इसकी केवल उपयोग करती है।

(च) Concern Regarding Investigation Report- विभागीय जाँच प्रतिवेदन पूर्व के निरीक्षण प्रतिवेदन, जिसमें संस्था में प्रशिक्षाणार्थियों की उपस्थिति के संबंध में किसी प्रकार की अनिमियतता न होने का उल्लेख है, के असंगत है।

(छ) Procedural and Legal Concerns- Blacklisting से संबंधित निविदा कंडिका–6.4 के प्रावधान के आलोक में कार्रवाई नहीं की गई है।

(ज) Violation of MoU Provisions-एकरारनामा की कंडिका–3.1 एवं 3.5 के आलोक में 30 दिन की सूचना अवधि एवं सुधारात्मक अवधि नहीं प्रदान की गई।

5. संस्था द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न साक्ष्य भी अपने अभ्यावेदन के साथ दिये हैं:–

(i) संस्था के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के माँग के आलोक में पूर्व में संबंधित साक्ष्य एवं तथ्य उपलब्ध कराया गया है।

(ii) DSM का विभिन्न तिथियों का निरीक्षण पुस्तिका एवं विजिट रिपोर्ट जिसमें संतोषजनक प्रतिवेदन अंकित है।

6. पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में अनियमितता से संबंधित अपना पक्ष रखने के आलोक में MKCL के प्रतिनिधि ने प्रतिवेदित किया है कि पूर्व में Letter Ref: P: MKCL: N-BDP: 2024-25: Dec/12 dated 12.12.2024 (सलग्ंन) संबंधित सूचना उपलब्ध कराई गई है। MKCL के संदर्भित पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि–

इस प्रतिवेदन में किसी विशिष्ट संस्था का नाम इंगित नहीं है और न ही किस प्रकार से यह मैनिपुलेशन किया गया है, यह अंकित किया गया है।

7. Blacklisting के संबंध में डोमेन स्किलिंग योजना के लिए निर्गत निविदा में Blacklisting से संबंधित प्रावधान 6.4- Clause for Blacklisting of TPs निम्नवत है:–

> *"While the primary objective is to facilitate TPs in achievement of targets, but the TPs can default for Corrupt or Fraudulent Practices. First level of safeguard against such default by*

TP is continuous monitoring and consultative system which is already in place right till the district level. Notices shall be issued to the TPs regarding deficiencies detected at various stages. However, even notice and reminder(s), if a TP does not take remedial measure, a major step may be taken which might lead to blacklisting of the TP."

8. साथ ही Termination of the Agreement से संबंधित कडिंका–27.1 में प्रावधान निम्नवत है:–

"Termination by Default: Department may, without prejudice to any other remedy for breach of Agreement, by a written notice of default of at least 30 days sent to the TP, terminate the Agreement in whole or in part (provided a cure period of not less than 30 days is given to the TP to rectify the breach):

(a) The agreement may be terminated if it is discovered at any stage that the TP has been furnishing false claims or providing misleading information with respect to enrolment of trainees, conduct of training or any other aspect related to programme.

(b) If the TP, in the judgement of the Client, is found to be engaged in corrupt, fraudulent, collusive, or coercive practices in competing for or in executing the Agreement.

(c) *If the TP commits breach of any condition of the Agreement.*

(d) *If department terminates the Agreement in whole or in part, Performance Guarantee shall be forfeited."*

9. बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संस्था के साथ किये गए एकरारनामा में Termination से संबंधित कडिंका–11 के प्रावधान निम्नवत है:–

> *"Both the parties shall honour the commitment already entered, square up all the outstanding in terms of finance, performance, etc. within a period of 30 days. Despite termination, the training partner shall abide by the usual professional ethics and normal code of conduct to maintain the confidentiality of the information and records in its possession or otherwise available to him."*

10. संस्था द्वारा उठाये गये विषयों/आधार के आलोक में संस्था के ब्लैकलिस्टिंग से संबंधित मूल संचिका का अवलोकन किया। इसके साथ अनियमितता के संबंध में जाँच प्रतिवेदन, MKCL के प्रतिवेदन, संबंधित RFP/निविदा एवं संस्थान के साथ हुए एकरारनामे का अवलोकन किया। उपरोक्त अभिलेखों के अवलोकन से संस्था द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर स्थिति निम्नवत पायी गयी है:–

(i) संस्था को विस्तृत जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है और उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में यह कही भी अंकित नहीं है कि किन–किन प्रशिक्षणार्थियों के संबंध में अनियमितता पायी गयी है। संस्था के संबंध में दिये गये जाँच प्रतिवेदन में विशिष्ट मामलों का विवरण नहीं दिये जाने से संस्था के द्वारा कृत अनियमितता भी विशिष्ट रूप से स्पष्ट नहीं होती है।

(ii) एकरारनामे की शर्तों के अनुसार संस्था को मात्र 15 दिनों का CCTV Footage रखना था तो संस्था के ऊपर कार्रवाई का आधार 15 दिनों से ऊपर की अवधि का CCTV Footage संरक्षित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(iii) निविदा एवं एकरारनामा की निर्धारित शर्तो "पायी गई कमी/त्रुटि/अनियमितता के 30 दिन का नोटिस अवधि, त्रुटि सुधार के लिए निर्धारित अवधि एवं स्मार" नहीं दी गई है। काली सूची में दर्ज किये जाने के संबंध में कार्यालय के पत्र के साथ संबंधित विभागीय जाँच समिति का प्रतिवेदन नहीं दी गई है।

जाँच कमिटि ने अपने मंतव्य में "उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि संस्था के द्वारा बायोमेट्रिक में छेड़छाड़ की गई है किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस–किस प्रशिक्षणर्थियों के उपस्थिति के साथ छेड़छाड़ किया गया है। उक्त के आलोक में जाँच कमिटि द्वारा अनुशंसा की गई थी कि RFP के क्रमांक 27 Termination of Agreement के कंडिका 01 पर अंकित के आलोक में हस्ताक्षरित समझौते को रद्द किया जाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है"।

11. सुनवाई में उपस्थित मिशन के पदाधिकारियों ने संस्था के द्वारा उपलब्ध कराये गए अभ्यावेदन पर बिन्दुवार संवीक्षा के उपरांत संस्था के विरुद्ध काली सूची में डाले जाने वाले आदेश पर पुनःविचार का मन्तव्य दिया।

12. (i)इस संबंध में महाधिवक्ता बिहार के पत्रांक–9555 दिनांक–03.04.2026 के द्वारा उपलब्ध कराई गई वाद CIVIL APPEAL NO(S)........ OF 2026 (ARISING OUT OF SLP(C)NO. 23858 OF 2025) M/S A.K.G. CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PVT.LTD. VERSUS STATE OF JHARKHAND & ORS. में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के न्यायादेश की कंडिका–**19** निम्नवत् है–

> "The requirement under *Clause 10.5 is a clear case of legislative (in this case subordinate legislation) incorporation of principles of natural justice. This Court*

has time and again emphasised the need to adhere to principles of natural justice while passing blacklisting orders, given the gracve consequences that follow."

(ii) *In Erusian Equipment & Chemicals Ltd. V. State of West Bengal में माननीय उच्चतम न्यायालय ने observe किया है कि–*

20. *"Blacklisting has the effect of preventing a person from the privilege and advantage of entering into lawful relationship with the Government for purposes of gains.* ***The fact that a disability is created by the order of blacklisting indicates that the relevant authority is to have an objective satisfaction.*** *Fundamentals of fair play require that the person concerned should be given an opportunity to represent his case before he is put on the blacklist."*

(iii) *Blacklisting* के पूर्व Show Cause Notice की आवश्यकता के संबंध में वाद संख्या:(2021) 2 SCC 551 *UMC Technologies Pvt. Ltd. V Food corporation of India वाद में न्यायालय ने माना है कि–*

13. *"At the outset, it must be noted that it is the first principle of civilised jurisprudence that a person against whom any action is sought to be taken or whose right or*

interests are being affected should be given a reasonable opportunity to defend himself. ***The basic principle of natural justice is that before adjudication starts, the authority concerned should give to the affected party a notice of the case against him so that he can defend himself. Such notice should be adequate and the grounds necessitating action and the penalty/action proposed should be mentioned specifically and unambiguously.*** *An order travelling beyond the bounds of notice is impermissible and without jurisdiction to that extent."*

का निर्णय दिया है, जो समान रूप से प्रासंगिक प्रतीत होता है।

13. उपरोक्त विवेचना एवं तथ्यों के आलोक निविदा की कंडिका: 6.4 Clause for Blacklisting of TPs का अनुपालन नहीं किये जाने, संस्था– M/S Datapro Computer Pvt. Ltd. को त्रुटिपूर्ण अपठनीय जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, अनिमियतता के संबंध में स्पष्ट एवं तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा इस परिस्थिति में जब मिशन के पदाधिकारियों के द्वारा संस्था को अनियमितता हेतु एकरारनामा को रद्द किया जा चुका है और संबंधित मामले में संस्था को लगभग छ: महीने से काली सूची में दर्ज किया गया है तो एकरारनामा एवं निविदा की शर्त्तों के आलोक में बिना विशिष्ट प्रकार के अनियमितता अंकित किये और बिना प्रक्रियाओं का अनुपालन किये तथा संस्था को उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड एवं इनके विरूद्ध आरोपों के संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं दिये

जाने के आलोक में अविधिक एवं अनियमितता के परिप्रेक्ष्य में गैर समानुपातिक रूप से संस्था को काली सूची में रखे रहना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतएव बिहार कौशल विकास मिशन के पत्रांक–2605 दिनांक–27.11.2025 द्वारा लागू काली सूची में दर्ज करने संबंधित आदेश सम्यक विचारोपरांत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

7/5/26

सचिव

युवा,रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–BSDM/विधि–53 / 2026 1652 पटना दिनांक– 09.05.2026

प्रतिलिपि–संस्था–M/S Datapro Computer Pvt. Ltd. को सूचनार्थ प्रेषित।

2. Team Leader TBA, Finance Team BSDM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार, एवं कौशल विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ।
5. सभी विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

9/5/26

मिशन निदेशक

बिहार कौशल विकास मिशन,

बिहार पटना